भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
18-06-19		

विविध वाद सं0–01 (S.T.) / 2019–20 / CNT–46

पालुराम मार्डी, पिता–शिवा मार्डी एवं अन्य–03 ....आवेदकगण

–––––––बनाम–––––––

जगन्नाथ सोरेन, पिता–श्री बैद्यनाथ सोरेन .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदकगण (विक्रेता) पालुराम मार्डी, (2) बिमल मार्डी, दोनो के पिता–शिवा मार्डी (3) पालुराम मार्डी, पिता–फुरलाई मार्डी, (4) पालु मार्डी, पिता–स्व0 रामसाई मार्डी, ग्राम–जगन्नाथपुर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता जगन्नाथ सोरेन, पिता–श्री बैद्यनाथ सोरेन, ग्राम–कालाझोर, थाना–घाटशिला, अंचल–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैः–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
घाटशिला	बैतालपुर	1113	42	260	0.07 ए0
				261	0.16 ए0
				263	0.07 ए0
				264	0.01 ए0
				266	0.03 ए0
				267	0.29 ए0
				269	0.26 ए0
				270	0.22 ए0
				कुल	1.11 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–23 / 04 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 07 / 05 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–374, दिनांकः–03 / 05 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में डूका संथाल, लखन संथाल, पांचु संथाल पिता–शिवा संथाल के नाम पर दर्ज है। आवेदकगण उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं

18/06/19

चल रहा हैं। आवेदित भूमि आवेदकगण के पितामह डुका संथाल, लखन संथाल तथा पांचु संथाल के नाम पर खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। मुखिया, ग्राम पंचायत बनकाटी का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त हैं। आवेदकगण द्वारा उपस्थितह होकर बताया कि आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 2 (दो) एकड़ से अधिक भूमि अवशेष बचता है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदकगण के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदकगण (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में बिक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–270, दिनांक–10/09/2003, आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–157, दिनांक–10/08/2004 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–1299/2013, दिनांक–07/05/2013, तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यलय, घाटशिला द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–1131/2013, दिनांक–07/05/2013 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदकगण 1.11 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये में बेचना चाहते है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी घाटशिला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–बैतालपुर, थाना नं0–1113, खाता नं0–42, प्लॉट नं0–260, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 270, रकवा क्रमशः – 0.07ए0, 0.16ए0, 0.07ए0, 0.01ए0, 0.03ए0, 0.29ए0, 0.26ए0, 0.22ए0 कुल रकवा–1.11 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदकगण (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

(Sd/-) 18/06/19

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

(Sd/-) 18/06/19

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
घाटशिला।

c.c. to last order be issued.
(Sd/-) 19/06/19